



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: Plexh/Cir/261

24/06/2025

को,

Plexconcil के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: अग्रिम प्राधिकरण धारकों, ईओयू और एसईजेड द्वारा अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के अधीन इनपुट के आयात के लिए सक्षम प्रावधान निर्धारित करने हेतु विदेश व्यापार नीति, 2023 में संशोधन के संबंध में।

संदर्भ: डीजीएफटी सार्वजनिक अधिसूचना संख्या: 20/2025-26 दिनांक ²³ जून, 2025

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने एफटीपी, 2023 के पैरा 2.03 (ए) (आई) (जी) में अग्रिम प्राधिकरण से संबंधित संशोधन किए हैं, जिन्हें अधिसूचना संख्या 71/2023 दिनांक 11.03.2024 द्वारा अधिसूचित किया गया है (अधिसूचना देखने के लिए [यहां क्लिक करें](#))

मौजूदा पैरा 2.03 (ए) (i) (जी)	संशोधित पैरा 2.03(ए)(i)(जी)
ऐसे प्राधिकरणों के लिए निर्यात दायित्व अवधि प्रक्रिया पुस्तिका के अनुच्छेद 4.40 के अनुसार होगी। हालांकि, वस्त्र मंत्रालय और रसायन एवं पेट्रोसायन विभाग (डीसीपीसी) द्वारा अधिसूचित वस्त्र और रासायनिक उत्पादों के लिए क्यूसीओ छूट के संबंध में आयात खेपों की मंजूरी की तारीख से ईओ अवधि 180 दिनों तक सीमित है।	ऐसे प्राधिकरणों के लिए निर्यात दायित्व अवधि प्रक्रिया पुस्तिका के पैरा 4.40 के अनुसार होगी। हालांकि, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग (डीसीपीसी) द्वारा अधिसूचित रासायनिक उत्पादों के लिए क्यूसीओ छूट के संबंध में आयात खेपों की मंजूरी की तारीख से ईओ अवधि 180 दिनों तक सीमित है।

इस अधिसूचना का प्रभाव:

अग्रिम प्राधिकरण के तहत वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनिवार्य क्यूसीओ के अधीन आने वाले उत्पादों के आयात के विरुद्ध निर्यात दायित्व अवधि प्रक्रिया पुस्तिका के पैरा 4.40 के अनुसार होगी।

यह आपकी जानकारी के लिए है

अधिक जानकारी के लिए कृपया [यहां क्लिक](#) करें

सम्मान,

भारती परवे

उप निदेशक — व्यापार एवं नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद